FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत तहसीलदार मुकाम महुवा

सरकार बनाम मोहरसिंह S/o रामलाल मीना नि. मथुरागांव

मुकदमा धारा 91 LR ACT. नं. 219/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/17	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10/1/2018 को पेश हो। तहसीलदार महवा, दौसा	
10/01/2018	पत्रावली पेश हुई आवाज लगाई गई अतिक्रमी उपस्थित नही आया है अतिक्रमी को व्यक्तिश: मे पुन: नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 16/01/2018 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
16/01/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित रहा है अतिक्रमी को पुन: नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 25/01/2018 को पेश हो।	
25/01/2018	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी मोहरसिंह उपस्थित आया है। आज श्रीमान P.O. साहब राज्य कार्य से बाहर	[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
	दिनांक 01/02/2018 को पेश हो।	
01/02/2018	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया है। न्यायहित मे समय दिया जाकर पत्रावली 12/02/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	[illegible]
12/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित आया अतिक्रमी द्वारा कोई जवाब व साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये पटवारी हल्का के बयान लिये गये पश्चात् मौका अतिक्रमण की फर्द बेदखली व पटवारी रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है वास्ते निर्णय दिनांक 19/2/18 को पेश हो।	[illegible]
19/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी की ओर से रामसिंह भाई उपस्थित आया पत्रावली दिनांक 26/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	रामसिंह (भाई)
26/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से भतीजा उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। अतः ग्राम नयागांव की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है।	करनसिंह मीना (भतीजा)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 29/17-- तारीख रजू 22/4/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का ठेकड़ा------ बनाम श्री मोहरसिंह-------पुत्र रामलाल --जाति मीना - निवासी नयागांव-- तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 26/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम -महवा---- हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री --मोहरसिंह----- ने ग्राम नयांगांव---- को भूमि ख.न. --547------- रकबा 0.01 किस्म गैरमुमकिन रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074------ में गेहूं------ कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से भतीजा (किरनसिंह) उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब मे उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अत: आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. --547-- रकबा --0.01 किस्म गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम नयागांव से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.44 या 50 गुणा 22 रू. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल----गेहूं------को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसीलदार महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/ब के पेज नं. 114 पर
वर्ष 2017-18 .... कायमी
की राशि कायमी 22 रू.
की जमा कायमी
दिनांक : 8/3/18
राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा